सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
पशुपालन और डेयरी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

राष्ट्रीय पशुधन मिशन संबंधी विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश

जनवरी 2025

विषय तालिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1
2	मिशन के उद्देश्य	1
3	मिशन का डिजाइन	1
4	संस्थागत संरचना	2
5	कार्यान्वयन ढांचा	4
6	योजना की निगरानी	5
7	उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए परियोजना अनुमोदन	6
8	योजना का निधियन और निधि प्रवाह	7
9	उप-मिशन और विस्तृत दिशानिर्देश	11
10	ग्रामीण पोल्ट्री के नस्ल सुधार के लिए उद्यमियों की स्थापना	11
11	जुगाली करने वाले छोटे पशु क्षेत्र में नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना (भेड़ और बकरी पालन)	13
12	देशी घोड़े, गधे और ऊंट का उद्यमिता विकास	15
13	सुअर पालन उद्यमी को बढ़ावा देना	17
14	भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवांशिक सुधार	20
15	घोड़े, गधे और ऊंट का आनुवांशिक सुधार	23
16	सूअर की नस्लों का आनुवांशिक सुधार	26
17	आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन	28
18	नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन	38
19	पशुधन बीमा	42
20	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए आउटपुट और परिणाम की रिपोर्टिंग	45
21	चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता घटक हेतु आवेदन का प्रारूप	48
22	चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता हेतु सांकेतिक लक्ष्य योजना	49
23	चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता के लिए त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारूप	50
24	उप-मिशन: अनुसंधान और विकास, विस्तार एवं नवाचार	51
25	विस्तार कार्यकलापों के लिए आईईसी समर्थन संबंधी घटक के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र	52
26	बीमा कंपनी के चयन, पशुओं का बीमा और दावा निपटान के लिए दिशा-निर्देश	53
27	ग्रामीण पोल्ट्री उद्यमिता के तहत सब्सिडी के लिए पात्र वस्तुओं की सूची	57
28	भेड़ और बकरी उद्यमिता के तहत सब्सिडी के लिए पात्र वस्तुओं की सूची	58
29	सुअर पालन उद्यमिता के तहत सब्सिडी के लिए पात्र वस्तुओं की सूची	59

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
30	घोड़े के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र वस्तुओं की सूची	60
31	गधे के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र वस्तुओं की सांकेतिक सूची	61
32	ऊँट के अंतर्गत पात्र वस्तुओं की सांकेतिक सूची	62
33	सिलेज निर्माण इकाई के लिए सब्सिडी हेतु पात्र घटकों की सूची	65
34	चारा ब्लॉक निर्माण इकाई के लिए सब्सिडी हेतु पात्र घटकों की सूची	65
35	उद्यमियों के लिए बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्त पोषण के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची	67
36	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पात्र कम इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों की सांकेतिक सूची	68
37	बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा	70
38	बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा	72
39	अखंडता अनुपालन के लिए परफ़ॉर्मा	73
40	ज़मानत बांड (पंजीकृत बांड के रूप में प्रदान किया जाना है)	75
41	विभिन्न इनपुट के लिए आपूर्तिकर्ताओं की सांकेतिक सूची	77
42	बकरी जर्मप्लाज्म के लिए फार्मों की सांकेतिक सूची	79
43	भेड़ जर्मप्लाज्म के लिए फार्मों की सांकेतिक सूची	81
44	सुअर जर्मप्लाज्म के लिए फार्मों की सांकेतिक सूची	82
45	मॉडल समझौता ज्ञापन (वन भूमि से चारा उत्पादन)	84
46	मॉडल समझौता ज्ञापन (गैर-वनीय बंजर भूमि / रेंजभूमि / चारागाह / गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन)	87
47	प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जुगा) के तहत पशुपालन घटक के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश	91
48	एनएलएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत सब्सिडी की वसूली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	94
49	''गैर-वनीय बंजर भूमि / रेंजभूमि / चारागाह / गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन'' घटक के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा	98
50	राज्य पशुधन बीमा डेटा	99

परिचालन दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना लागू कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये एनएलएम योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी, ऊंट, गधे और भेड़ के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में लक्षित वृद्धि करना है। अतिरिक्त उत्पादन घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद करेगा। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड संपर्क बनाने और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमी विकसित करना है।

1.2 एनएलएम को नीचे वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

2. मिशन के उद्देश्य:

एनएलएम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

i. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, पोल्ट्री, सुअर, ऊंट, गधे, खच्चर, घोड़े और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन
ii. नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि
iii. भेड़, बकरी, सुअर और पोल्ट्री, बकरी, भेड़, ऊंट, गधे के मांस, दूध, ऊन, अंडे और चारे के उत्पादन में वृद्धि
iv. चारा, चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाइयों, बीज आपूर्ति श्रृंखला और प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के माध्यम से- आहार एवं चारे की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करके मांग को कम करना
v. मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना को प्रोत्साहित करना
vi. चारा खेती के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि करना
vii. किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना
viii. पोल्ट्री, भेड़, बकरी, आहार एवं चारे के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना
ix. किसानों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के अधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण।
x. उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना

3. मिशन का डिजाइन

3.1 पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन में निम्नलिखित तीन उप-मिशन होंगे:

क) पशुधन और पोल्ट्री का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन
ख) आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन
ग) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन

3.1.1 **पशुधन और पोल्ट्री का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन** में उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, गधे, घोड़े और खच्चर में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर तीव्र ध्यान देने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार को नस्ल संरक्षण और नस्ल सुधार अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

3.1.2 **आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन:** इस उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक हरे चारे, संसाधित और वर्गीकृत प्रजनक, आधार और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार के लिए चारा बीज श्रृंखला में गुणवत्ता वाले चारा बीज की उपलब्धता को सुदृढ़ करना है। यह उप-मिशन चारा खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ-साथ उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करके चारा ब्लॉक / हे बेलिंग / साइलेज निर्माण / चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

3.1.3 **नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन:** इस उप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है। इस उप-मिशन के तहत, क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक नवाचारों और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार कार्यकलापों सहित विस्तार सेवाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों, विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी। जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शन कार्यकलापों और अन्य आईईसी करायकलपों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। पशुधन बीमा के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

3.2. योजना का अधिकार क्षेत्र

यह योजना वर्ष 2021-22 से पूरे भारत में लागू की जाएगी।

4. संस्थागत संरचना

<u>4.1. अधिकारी प्राप्त समिति (ईसी)</u>

4.1.1. ईसी का गठन: अनुसंधान एवं नवाचार के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन तथा दिशा-निर्देशों के साथ-साथ नीतिगत निर्णयों के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में वित्तीय सलाहकार, डीएएचडी, पशुपालन और डेयरी विभाग के पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिव तथा चयनित राज्यों के प्रधान सचिव जो बारी-बारी से 5 क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर-पूर्व राज्य) का प्रतिनिधित्व करते हैं और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संयुक्त सचिव हैं, जो एनएलएम के मिशन निदेशक भी हैं।

4.1.2. ईसी का कार्य: अधिकार प्राप्त समिति कुल निधियन, आवंटन और फंडिंग पैटर्न में बदलाव किए बिना योजना की प्रगति की समग्र निगरानी, योजना दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने, नीति निर्देश प्रदान करने और योजना के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों (जैसे किसी घटक या कार्यकलापों को हटाना, शामिल करना और संशोधित करना) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। समिति के पास किसी विशेष कार्यकलाप से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में बदलाव के कारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यकलापों के लागत मानदंडों को अद्यतन करने का

अधिकार है। ईसी आवश्यकतानुसार अन्य समितियों को भी अधिकार सौंप सकती है। ईसी के पास परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति को जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार है।

4.2 परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी):

4.2.1 पीएसी का गठन: संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की अध्यक्षता में गठित पीएसी राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) से प्राप्त परियोजना सहित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेगी। समिति में संबंधित राज्य सरकार के विभाग के निदेशक, वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधि, संबंधित विभाग के अधिकारी, एनएलएम प्रभाग के संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या उप सचिव शामिल होंगे। संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या निदेशक पीएसी के सदस्य सचिव होंगे। ऐसी स्थिति में जहां पीएसी की बैठक संभव नहीं है, पीएसी के अध्यक्ष इस शर्त के साथ परियोजना को अनुमोदित कर सकते हैं कि परियोजना को अगली पीएसी में अनुमोदन दिया जाएगा।

4.2.2 पीएसी का कार्य: पीएसी परियोजना मूल्यांकन और निगरानी इकाई द्वारा मूल्यांकित एसएलईसी से प्राप्त परियोजना की संभाव्यता, व्यवहार्यता की जांच, सत्यापन करेगी और अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगी। पीएसी जमीनी स्तर पर परियोजना(ओं) के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। पीएसी को दिशा-निर्देशों में बदलाव का सुझाव देने का भी अधिकार होगा जिसे अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4.3 राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC):

4.3.1. **एसएलईसी का गठन:** राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/राज्य पशुपालन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। एसएलईसी के संयोजक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक होंगे, जैसा भी मामला हो। समिति के अन्य सदस्य पशुपालन निदेशक या आयुक्त, विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, अतिरिक्त निदेशक, संबंधित जिले के उप निदेशक/जिला पशुपालन अधिकारी जिनके प्रस्तावों पर विचार किया जाना है और संबंधित क्षेत्र के कोई तकनीकी अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एसएलईसी में जनजातीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग से सह-सदस्य होंगे।

4.3.2. **एसएलईसी का कार्य:** राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमिता प्रस्ताव सहित पात्र लाभार्थियों/एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। एसएलईसी उद्यमिता विकास, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JUGA) और राज्य एजेंसियों के पशुपालन घटक के तहत अनुमोदन के लिए लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी और विशिष्ट योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के हिस्से और लाभार्थी के अंशदान की उपलब्धता की पुष्टि करेगी, यदि कोई हो और इसे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के एनएलएम प्रभाग को विचार और अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगी।

4.3.3. **परामर्श समूह** (**Mentoring Group**): माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्श समूह की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकारी क्षेत्र, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक/पेशेवर, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, जुगाली करने वाले छोटे पशु, सूअर पालन और आहार एवं चारा क्षेत्र में काम करने वाले पशुपालक शामिल होंगे। परामर्श समूह योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग को विभिन्न नवाचारों आदि के लिए मार्गदर्शन करेगा।

4.3.4. **विशेषज्ञ समूह**: एनएलएम योजना के अनुसंधान और नवाचार घटकों के तहत परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए पशुपालन आयुक्त (एएचसी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा, जिसमें विभाग, आईसीएआर और संबंधित राज्यों के सदस्य शामिल होंगे। विशेषज्ञ समूह पात्र संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजना की व्यवहार्यता, परियोजना की लागत और संगठन द्वारा प्रस्तावित तकनीकी पहलू और परियोजना के

आर्थिक लाभ के संबंध में जांच करेगा। विशेषज्ञ समूह, परियोजना की जांच के बाद, अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश करेगा। यदि आवश्यकता हुई तो, विशेषज्ञ समूह विषय-वस्तु विशेषज्ञ को भी समूह में शामिल करेगा।

5. कार्यान्वयन ढांचा

5.1 कार्यान्वयन एजेंसी:

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का क्रियान्वयन राज्य पशुपालन विभाग के तहत स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में, राज्य पशुपालन विभाग को अपनी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की स्थापना करनी होगी या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहले से स्थापित एजेंसी को चिन्हित करना होगा। राज्य सरकार डीएएचडी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में सूचित करेगी। वित्त मंत्रालय के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिस्सेदारी को चैनलाइज़ किया जाएगा।

5.2 एनएलएम योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य

- पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां या संबंधित राज्य सरकार के राज्य पशुपालन विभाग रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के नाम आमंत्रित करेंगे।
- उद्यमियों / पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच की जाएगी और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से परियोजना के लिए शेष वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के आवेदन की सिफारिश करेगी।
- एक बार ऋण भाग के वित्तपोषण के माध्यम से उद्यमिता घटकों के लिए परियोजना वित्त पोषण के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है तो इसे राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। एसएलईसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद, परियोजनाओं को एनएलएम के तहत आवेदन अपलोड करने के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय शेयर प्राप्त करने के लिए उद्यमिता परियोजना के अलावा एनएलएम के तहत प्रस्ताव भी भेजेगी।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उद्यमियों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी और विभाग को उनकी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करेगी। उद्यमियों के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, वास्तविक और वित्तीय प्रगति विभाग को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3 एनएलएम-ईडीपी कार्यकलापों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड

उद्यमी/पात्र संस्थाओं को उद्यमिता कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड को पूरा करते हैं:

- उद्यमियों / पात्र संस्थाओं ने या तो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या प्रशिक्षित विशेषज्ञ हों या परियोजना के प्रबंधन और संचालन में प्रासंगिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हों या परियोजना के प्रबंधन और संचलान के संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव के साथ तकनीकी विशेषज्ञ हों।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल गया हो या बैंक द्वारा इसकी वैधता के लिए परियोजना के मूल्यांकन के साथ अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हो, जहां इसका खाता है।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के पास अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होनी चाहिए जहां परियोजना की स्थापना की जाएगी सिवाय एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी के जिनके लिए लिए अलग प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
- पात्र संस्थाएं परियोजना के पूरा होने के बाद न्यूनतम तीन वर्षों तक परियोजना को चलाने में सक्षम होंगी।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं के पास केवाईसी के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए।
- पात्र संस्थाएं मार्जिन मनी के रूप में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए।

5.4 योजना की निगरानी:

डीएएचडी ने ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in विकसित किया है। डेटा के रखरखाव और ऑनलाइन निगरानी के लिए एमआईएस प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। संपत्तियों की निगरानी जीआई टैगिंग के जरिए की जाएगी।

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और राज्य समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की वास्वतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को परिशिष्ट-I में संलग्न आउटकम-आउटपुट फ्रेमवर्क के अनुसार प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी।

डीएएचडी ने योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की स्थापना की है। पीएमए निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

- लाभार्थी के प्रस्ताव की खोज के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता करना।
- लाभार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना
- योजना के बारे में लोगों तक पहुँच बनाना
- लाभार्थी को मिलने वाले फंड के प्रवाह की निगरानी के लिए संबंधित बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना
- एमआईएस प्रणाली विकसित करना और
- योजना के कार्यान्वयन के लिए डीएएचडी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य

5.4.1. योजना की निगरानी में पारदर्शिता: जमीनी स्तर पर योजना की बेहतर निगरानी के लिए, राज्य पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के सदस्य, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्यों को शामिल करते हुए निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पशु सखियों का उपयोग कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं और क्षेत्र में कार्यों की प्रतिक्रिया के लिए किया जाना चाहिए। नस्ल सुधार, संसाधनों की पहचान, जागरूकता सृजन के लिए पशु सखियों को भी शामिल किया जा सकता है।

5.4.1. वास्तविक प्रगति रिपोर्ट: जिन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है, उनके लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तिमाही आधार पर वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5.4.2. वित्तीय प्रगति रिपोर्ट: जीएफआर-2017 द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जीएफआर के निर्धारित प्रारूप के अनुसार वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.5 उद्यमिता कार्यक्रमों की परियोजना का अनुमोदन:

● उद्यमी/पात्र संस्थाएं एनएलएम पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगी।

● उद्यमी/पात्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी तथा अनुसूचित बैंक या एनसीडीसी आदि जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुशंसा प्रदान की जाएगी।

● परियोजना की अनुशंसा के पश्चात, बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा निधियन के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

● एक बार जब उद्यमी/पात्र संस्थाएं परियोजना के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से स्वीकृति प्राप्त कर लेती हैं, तो राज्य कार्यान्वयन एजेंसी उसे केंद्र सरकार को आवेदन की अनुशंसा करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) के समक्ष रखेगी। एसएलईसी के अनुमोदन के पश्चात एसआईए ऋण घटक के लिए संस्वीकृति अपलोड करने के साथ ही डीएएचडी के पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को आवेदन अग्रेषित करेगी।

● डीएएचडी परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से परियोजना को अनुमोदन प्रदान करेगा। परियोजना के अनुमोदन के बाद, डीएएचडी संस्वीकृत ऋण का न्यूनतम 25% या स्व-निधियन परियोजना के मामले में स्वयं के हिस्से के व्यय का 25% जारी करने के लिए, जैसा भी मामला हो, पोर्टल में अनुमोदन को चिह्नित करेगा, ताकि पात्र इकाई को पहली किस्त की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सके।
● लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने के लिए, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सब्सिडी राशि लाभार्थी को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से ऋणदाता बैंक या वित्तीय संस्थानों को जारी की जाएगी, जैसा भी मामला हो।
● सब्सिडी की दूसरी / अंतिम किस्त केवल तभी जारी की जाएगी जब परियोजना पूरी और चालू हो जाएगी।

5.6 केन्द्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय फार्मों आदि द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति:

• संबंधित केंद्रीय एजेंसियां/विश्वविद्यालय फार्म अपने मूल संगठन/विभाग के माध्यम से एनएलएम प्रभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मूल संगठन/विभाग को सहायता प्राप्त करने के लिए एनएलएम प्रभाग को अग्रेषित करने से पहले परियोजना का अनुमोदन और अनुशंसा करनी चाहिए।
• इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होने पर, संयुक्त सचिव, एनएलएम की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) परियोजना की संभाव्यता और व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना को मंजूरी देगी।
• संबंधित केंद्रीय एजेंसियों/विश्वविद्यालय फार्मों को हर तिमाही में एनएलएम प्रभाग को योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के बारे में सूचित करना होगा।

5.7. नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के तहत परियोजनाओं का मूल्यांकन: नवाचार और अनुसंधान तथा विकास के तहत परियोजनाएं, जो संबंधित एजेंसी / विश्वविद्यालयों / आईसीएआर और अन्य विश्वसनीय संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी, विशेषज्ञ समूह द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वित्त पोषण करने के लिए उन पर विचार करने हेतु सिफारिश की जाएगी।

हालांकि, ईसी द्वारा विश्वसनीय संस्थान का चयन चुनौती पद्धति (Challenge Method) के माध्यम से किया जाएगा।

5.8 योजना का निधियन और निधि प्रवाह

एनएलएम योजना में केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक दोनों शामिल हैं। प्रत्येक घटक के लिए फंडिंग पैटर्न की व्याख्या की गई है। हालांकि, विशिष्ट घटकों के अंतर्गत निधियन के अलावा, विभाग राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को प्रशासनिक लागत के लिए प्रति वर्ष 105 लाख रुपये तक का निधियन भी उपलब्ध कराएगा, ताकि लाभार्थियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकें, जागरूकता पैदा की जा सके और लाभार्थियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके।

5.8.1. उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए निधि प्रवाह (केन्द्रीय वित्तीय सहायता घटक):

5.8.1.1. निधि चैनलाइज़िंग एजेंसी: सभी सब्सिडी राशि को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से चैनलाइज़ किया जाएगा और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थी को सब्सिडी चैनलाइज़ करने के लिए सिडबी केन्द्रीय-एकल नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हालांकि, अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता चैनलाइज़ करने के लिए, आईसीएआर और एनडीडीबी को केन्द्रीय एकल नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है।

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सब्सिडी के प्रबंधन, ऋणदाता बैंक और वित्तीय संस्थानों को सब्सिडी के हस्तांतरण के संबंध में सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग उद्यमिता कार्यक्रम के लिए निधि चैनलाइज़िंग एजेंसी के रूप में काम करने के लिए सिडबी को प्रशासनिक लागत प्रदान करेगा। सिडबी सभी जानकारी प्रस्तुत करने और उन्हें हस्तांतरित धन के उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होगा। विभाग सिडबी के साथ मिलकर निधि चैनलाइज़िंग कार्य के तौर-तरीके (Modalities) तय करेगा।

5.8.1.2. उद्यमिता कार्यक्रम के लिए निधि प्रवाह तंत्र: उद्यमिता कार्यक्रम के संबंध में, सिडबी द्वारा ऋण देने वाले अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को लाभार्थियों के सब्सिडी खाते में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एनएलएम ईडीपी के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं जो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत वर्गीकृत है या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत है। सब्सिडी घटक प्राप्त होने पर, सिडबी संस्वीकृत ऋण की पहली किस्त के न्यूनतम 25% जारी होने के बाद उद्यमियों / पात्र संस्थाओं के उपयुक्त खाते में सब्सिडी की पहली किस्त जारी करेगा। सिडबी को सब्सिडी के लिए समर्पित खाता खोलने की आवश्यकता है और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफएमएस प्रणाली में मैपिंग के लिए डीएएचडी को सूचित करना होगा। प्रत्येक उद्यमिता घटक के सामने सब्सिडी जारी करने के तरीके का उल्लेख किया गया है।

स्व-निधियन परियोजना के मामले में, सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा उस ऋणदाता अनुसूचित बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। ऐसी स्व-निधियन परियोजनाओं का, इनकी संस्वीकृति से पहले, उस बैंक द्वारा मूल्यांकन भी किया जाएगा, जहां उद्यमियों/पात्र संस्थाओं का खाता है। सब्सिडी की पहली किस्त तभी जारी की जाएगी, जब लाभार्थी ने परियोजना के संबंधी अवसंरचना पर 25% लागत खर्च की हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उसका सत्यापन किया

गया हो। सब्सिडी की शेष राशि परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी।

स्व-निधियन मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक लाभार्थियों को समर्थन के लिए मांगी गई पूंजीगत सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। यह बैंक गारंटी तीन साल के लिए वैध होगी और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पक्ष में आहरित होगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। साथ ही, बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा या आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप दिशानिर्देशों के साथ संलग्न किया गया है।

5.8.2. केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए निधि प्रवाह:

वित्त मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रविष्टियों (Submissions) के अंतर्गत एनएलएम योजना के केंद्र प्रायोजित घटकों के लिए निधियां राज्य सरकार के आरबीआई खाते में जारी की जाएंगी। सीएसएस योजना के लिए निधि के प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रिया व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनाई जाएगी।

5.8.3. केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए अन्य केंद्रीय क्षेत्र घटकों के लिए निधि प्रवाह:

एनएलएम योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार की एजेंसियों या राज्य सरकार की एजेंसियों या स्टार्ट अप्स आदि को प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए निधि प्रवाह, व्यय विभाग और सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा।

5.9. उद्यमिता परियोजना के लिए आवेदन का तरीका: उद्यमिता परियोजना और केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवेदन डीएएचडी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

5.10. चारा बीज बहुगुणन उप-घटकों के लिए केंद्रीय वित्त सहायता के तहत परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण: केंद्र सरकार आईसीएआर, राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती सहकारी (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड (KVSSL) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगमों, सार्वजनिक और निजी संगठनों, डेयरी सहकारी समितियों और दूध परिसंघों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अच्छी साख वाले अन्य संगठनों द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन देगी।

हालाँकि, मौजूदा पात्र संस्थाओं के अलावा, विभाग द्वारा समय-समय पर जाँची और अनुमोदित कोई अन्य एजेंसी भी चारा बीज उत्पादन श्रेणी के लिए पात्र एजेंसी के रूप में शामिल की जा सकती है। ऐसी एजेंसियाँ गुणवत्तापूर्ण चारा बीज के उत्पादन के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने की भी पात्र होंगी। सचिव (एएचडी) द्वारा एनएलएम के तहत केंद्रीय बीज उत्पादन एजेंसी को अनुमोदित किया जाएगा, यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

- कार्यान्वयन एजेंसी के पास बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य सरकार/केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग /कृषि विभाग या आईसीएआर संस्थान द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- एजेंसी का टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ प्रति वर्ष होना चाहिए।

राज्य एजेंसियों/राज्य सरकारों/राज्यों के संस्थानों और केंद्रीय एजेंसियों के अलावा अन्य विश्वसनीय एजेंसियों के संबंध में आवेदन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य पशुधन विकास बोर्ड या राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए राज्य सरकार द्वारा चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से उनके आवेदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

हालांकि, डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध परिसंघों के लिए आवेदन के संबंध में, आवेदन एनडीडीबी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। एनडीडीबी उन आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें निधियन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग को प्रस्तुत करेगा। डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध परिसंघों द्वारा चारा बीज उत्पादन संबंधी सहायता जारी करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध परिसंघ को आगे एनडीडीबी के समक्ष रखा जाएगा।

5.11. प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंक देने का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन के मापदंड इस प्रकार होंगे:

(क) उद्यमिता कार्यक्रम के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या
(ख) उद्यमिता विकास के माध्यम से सृजित नौकरियों की संख्या
(ग) उत्पादित चारा बीज की मात्रा और चारा उत्पादन में सुधार
(घ) लाभान्वित किसानों की संख्या।
(ङ) बीमा कार्यक्रम के तहत बीमित पशुधन की संख्या।
(च) प्रचारित और कार्यान्वित की गई नवीन परियोजनाओं की संख्या।
(छ) योजना के लिए किसानों और युवाओं में जागरूकता पैदा करना।
(ज) विभाग द्वारा केंद्रीय अंश के रूप में जारी की गई धनराशि का समय पर उपयोग।
(झ) परियोजना कार्यान्वयन समय
(ञ) राज्य अंश का समय पर जारी होना।
(ट) राज्य में अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि।
(ठ) उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे जर्मप्लाज्म की उपलब्धता में वृद्धि

5.12. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मंत्रिमंडल से अनुमोदित धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JUGA) के अनुसार, विभाग वन अधिकार अधिनियमों के तहत पट्टा रखने वाले जनजातीय लाभार्थियों द्वारा मुर्गी पालन, भेड़, बकरी सूअर पालन इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगा। विस्तृत दिशा-निर्देश अनुबंध-XVII में संलग्न हैं

5.13. अप्रत्याशित घटनाएं (Force Mejeure): असाधारण घटनाएं या परिस्थितियाँ जो मानव नियंत्रण से परे हों जैसे कि ईश्वरीय कृत्य (जैसे प्राकृतिक आपदा) के रूप में वर्णित घटनाएँ या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध (लेकिन लापरवाही या गलत काम, पूर्वानुमानित/ मौसमी बारिश और विशेष रूप से बहिष्कृत कोई अन्य घटनाएँ शामिल नहीं हैं) जैसी घटनाएँ। ऐसे मामले में विभाग कानून के प्रावधान के अनुसार लाभार्थियों या संस्थानों को प्रदान की गई सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की जाँच करेगा।

5.14. एनएलएम-ईडीपी कार्यक्रम के तहत सब्सिडी वापस लेना: यदि परियोजना पूरी नहीं होती है, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के तीन साल के भीतर इसका संचालन बंद हो जाता है या छोड़ दिया जाता है, और अन्य कारणों से जहां डीएएचडी को लगता है कि सब्सिडी का दुरुपयोग किया गया है तो, डीएएचडी के पास लाभार्थी से सब्सिडी की पूरी या आंशिक राशि वापस लेने या निकासी का अधिकार सुरक्षित है। विस्तृत एसओपी तैयार की गई है और उसे डीएएचडी, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाना है, जो संशोधनों के अधीन है और जिसे अनुबंध-XVIII में दिया गया है।

5.15. अवशिष्ट

5.15.1. इक्विटी स्वामित्व में परिवर्तन या प्रमोटर संस्थाओं में परिवर्तन के कारण चयनित आवेदक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, डीएएचडी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

5.15.2. जहां सरकार द्वारा लाभार्थियों को संवितरण किया जाता है, वहां वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए, पारदर्शिता और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ एक निवारक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और खरीद के मामले में एक सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों से संकेत लेते हुए, योजना के तहत आवेदकों से शपथपत्र लेने का निर्णय लिया गया है।

5.15.3. शपथपत्र के दो प्रारूप अनुबंध-XII और XIII के रूप में संलग्न हैं। ये शपथपत्र आवेदकों द्वारा स्वयं या एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी/एसएचजी/धारा 8 कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए, जिसमें पदनाम के साथ ऐसा करने के लिए प्राधिकरण भी दर्शाया गया हो।

5.15.4. प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए दावे प्रस्तुत करने के बाद और किसी भी मामले में निधि जारी होने से पहले आवेदकों द्वारा सत्यनिष्ठा के अनुपालन की पुष्टि के लिए अनुबंध-XII में शपथपत्र प्रदान किया जाएगा। उपर्युक्त शपथपत्र प्रदान किए जाने तक प्रोत्साहन राशि जारी नहीं की जाएगी।

5.15.5. इन दिशानिर्देशों को योजना की निरंतरता के दौरान किसी भी समय संशोधित/परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसे संशोधन/परिवर्तन योजना की अवधि के दौरान चयनित आवेदकों सहित सभी आवेदकों के लिए बाध्यकारी होंगे।

5.15.6 सभी आवेदकों को सब्सिडी की पहली किस्त जारी होने से पहले इस दिशानिर्देश से जुड़े अनुबंध- XIII के अनुसार परियोजना के संचालन के लिए प्रतिभूति प्रतिज्ञापत्र (Surety Bond) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

6. उप-मिशन और विस्तृत दिशानिर्देश

6.1 पशुधन और कुक्कुट की नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: इस उप-मिशन के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे:

I. ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना
II. जुगाली करने वाले छोटे पशु क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना
III. देशी घोड़े, गधे और ऊँट का उद्यमिता विकास
IV. सुअर पालन उद्यम को बढ़ावा देना
V. भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
VI. घोड़े, गधे और ऊँट का आनुवंशिक सुधार
VII. सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

6.1.1. कार्यकलाप I: - ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना

क्र. सं.	घटक का नाम	ग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास के लिए उद्यमिता की स्थापना
1.	उद्देश्य	i. असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना ii. ग्रामीण कुक्कुट पालन के क्षेत्र में धारणीय रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देना। iii. फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना। iv. विभिन्न वैकल्पिक गैर-पारंपरिक कम लागत वाले आहार को लोकप्रिय बनाना।
2.	प्रमुख विशेषताएं	हैचिंग अण्डों और चूजों के उत्पादन और मदर यूनिट में चार सप्ताह तक उक्त चूजों को पालन-पोषण के लिए मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी, ब्रूडर-सह-मदर यूनिट की स्थापना के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियों को आमंत्रित करके उद्यमिता विकसित की जाएगी। उन उद्यमियों पर जोर दिया जाएगा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (हब एंड स्पोक) स्थापित करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार न्यूनतम 1000 मूल लेयर्स के साथ मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी और मदर यूनिट की स्थापना हेतु परियोजना की लागत के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी मूल फार्म में अनुरक्षित पक्षी, लो इनपुट टेक्नोलॉजी पक्षी होंगे या इस तरह के पक्षी होंगे जो फ्री रेंज मैनेजमेंट सिस्टम में रह सकें। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय और राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और अन्य निजी संगठन गारंटीकृत उत्पादन के प्रमाण पत्र के साथ उद्यमियों को पक्षियों की

		आपूर्ति करने के लिए पात्र होंगे। पक्षियों के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। निधियन के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची **अनुबंध- IX** पर है।
3.	**पात्र संस्थाएं**	व्यक्ति/ एसएचजी/एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी और धारा 8 की कंपनियां
4.	**निधियन पैटर्न**	कुल परियोजना लागत की एक मुश्त 50% पूंजीगत लागत प्रदान की जायेगी, प्रत्येक यूनिट के लिए अधिकतम सब्सिडी 25 लाख रू. तक होगी। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जांएगा, जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत अतिरिक्त/परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से से 25% व्यय करने पर प्रथम किस्त की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। सब्सिडी के लिए विचार की जाने वाली वस्तुओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है
5.	**कार्यान्वयन प्राधिकारी**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और डीएएचडी, भारत सरकार
6.	**उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करना होगा।
7.	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में परियोजना के पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि के लिए इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

कार्यकलाप II: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना:

क्र. सं.	घटक का नाम	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ और बकरी पालन) में नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना
1.	**उद्देश्य**	• जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना • भेड़-बकरी संबंधी धारणीय व्यापार मॉडल विकसित करना • एकीकृत ग्रामीण भेड़-बकरी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, एफपीओ, एफसीओ, एसएचजी, जेएलजी और धारा 8 की कंपनियों को प्रोत्साहित करना। • उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने और फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज के निर्माण के माध्यम से जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलना। • वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण, रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना। • भेड़ और बकरी पालन के स्टाल फीडिंग मॉडल को बढ़ावा देना।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	1. व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का निर्माण। 2. उद्यमी/पात्र संस्थाएं न्यूनतम 100 से 500 मादाओं और 5 से 25 नरों के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाई स्थापित कर सकती हैं। सब्सिडी राशि इकाई के आकार के अनुसार निम्नानुसार मानी जाएगी: भेड़/बकरी के लिए इकाई का आकार अधिकतम पूंजीगत सब्सिडी की राशि (रु.) 100 मादा+5 नर 10 लाख 200 मादा + 10 नर 20 लाख 300 मादा+ 15 नर 30 लाख 400 मादा+20 नर 40 लाख 500 मादा +25 नर 50 लाख भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना बकरी के दूध, मीट और अच्छी ऊन की गुणवत्ता के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आनुवंशिक किस्म के साथ की जाएगी। भेड़ और बकरी की नस्ल का चयन इस

दिशानिर्देश में दी गई सूची से या राज्य सरकार के परामर्श से किया जा सकता है।

3. केंद्र सरकार परियोजना की पूंजी लागत के लिए पैरा 2 में उल्लिखित राशि के अनुसार 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो 50 लाख रुपये तक होगी। सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। सिडबी द्वारा पहली किस्त अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा किया जाएगा। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे।

4. स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसंरचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत अतिरिक्त/परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से से 25% व्यय करने पर प्रथम किस्त की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

6. उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से करनी होगी।

सब्सिडी के लिए पात्र घटकों की सूची **अनुबंध- II** में दी गई है।

3.	**सहायता का पैटर्न**	50% पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 50 लाख रुपये, दो किस्तों में। सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	एफपीओ/एफसीओ/एसएचजी/जेएलजी/ व्यक्ति/ धारा 8 की कंपनियां
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, डीएएचडी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
6.	**उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	उद्यमी/पात्र संस्थाएं ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगी।
7.	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में परियोजना के पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि के लिए इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

कार्यकलाप III: देशी घोड़े, गधे और ऊँट का उद्यमिता विकास

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक का नाम</th><th>घोड़े, गधे और ऊंट की नस्ल विकास के लिए उद्यमी की स्थापना</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उद्देश्य</td><td>i. असंगठित घोड़ा पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना
ii. स्थायी नस्ल सुधार के लिए घोड़े, गधे और ऊँट के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
iii. घोड़े, ऊँट और गधे की विभिन्न देशी नस्लों को लोकप्रिय बनाना।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रमुख विशेषताएं</td><td>देशी नस्लों के विकास के लिए घोड़ा, ऊंट, गधे के ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (SHG) / किसान उत्पादक संगठन (FPO) / किसान सहकारी समितियां (FCO) / संयुक्त देयता समूह (JLG) और धारा 8 कंपनियों को आमंत्रित करके उद्यमिता विकसित की जाएगी। केंद्र सरकार, आवास की लागत, प्रजनन पशुओं की खरीद, बीमा की लागत, चारा खेती के लिए भूमि की तैयारी, और प्रजनक फार्म की स्थापना के लिए उपकरणों की लागत के लिए परियोजना की स्थापना की लागत के लिए 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। घोड़े और गधे के लिए इकाई का आकार सब्सिडी के अनुसार निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>प्रजाति</th><th>इकाई का आकार</th><th>अधिकतम सब्सिडी</th></tr>
<tr><td>घोडा</td><td>10 मेयर/ब्रूडमेयर + 2 स्टैलियन</td><td>50 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>गधा</td><td>50 मादा +5 नर</td><td>50 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऊंट</td><td>10 मादा +1 नर (चरवाहों के लिए)</td><td>3.0 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऊंट</td><td>10 मादा +1 नर</td><td>5.0 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऊंट</td><td>50 मादा + 5 नर</td><td>25.0 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऊंट</td><td>100 मादा + 10 नर</td><td>50.00 लाख रु.</td></tr>
</table>
उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से जुटानी होगी।

नोट: प्रजनन फार्म में रखे जाने वाले पशु केवल देशी नस्ल के होंगे। पूर्ण नस्ल के घोड़ों के लिए प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए कोई वित्तपोषण की अनुमति नहीं दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पात्र संस्थाएं</td><td>एफपीओ/एफसीओ/एसएचजी/जेएलजी/ व्यक्ति/ धारा 8 की कंपनियां</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निधियन पैटर्न</td><td>कुल परियोजना लागत की एक मुश्त 50% पूंजीगत लागत प्रदान की जायेगी, प्रत्येक यूनिट के लिए अधिकतम सब्सिडी 50 लाख रू. तक होगी।

केंद्र सरकार परियोजना की पूंजी लागत के लिए पैरा 2 में उल्लिखित राशि</td></tr>
</table>

		के अनुसार 50% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो 50 लाख रुपये तक होगी। सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। सिडबी द्वारा पहली किस्त अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा किया जाएगा। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाएगी, जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसंरचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत अतिरिक्त/परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से से 25% व्यय करने पर प्रथम किस्त की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से करनी होगी। सब्सिडी के लिए पात्र घटकों की सूची अनुबंध-IV, V और VI में दी गई है। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
5.	**कार्यान्वयन प्राधिकारी**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और डीएएचडी, भारत सरकार,
	उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के	उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करना होगा।

6.	**लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	
7.	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में परियोजना के पूरा होने के बाद 2 साल की अवधि के लिए इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

क्रियाकलाप IV: सुअर पालन उद्यमी को प्रोत्साहन

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	सुअर पालन उद्यमी को प्रोत्साहन
1.	उद्देश्य	आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सुअर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए क्षेत्र में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना और फारवर्ड एवं बैकवर्ड संपर्कों का निर्माण करना। सूअर के मांस में आयात निर्भरता को बदलना और सूअर के मांस एवं सूअर मांस के उत्पादों का निर्यात शुरू करना, वैज्ञानिक पालन प्रथाओं, पोषण, रोग की रोकथाम आदि के बारे में जागरूकता फैलाना।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह (SHG)/किसान उत्पादक संगठनों (FPO)/किसान सहकारी समितियों (FCO)/संयुक्त देयता समूहों (JLG) और धारा 8 की कंपनियों को एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से उद्यमी तैयार करना। उद्यमी को केंद्र या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के फार्मों या स्थानीय किसानों से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले प्रजनन योग्य न्यूनतम 50 से 100 सुअरियों और न्यूनतम 5 से अधिकतम 10 सूअर वाले ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि इकाई के आकार के आधार पर निम्नानुसार तय की जाएगी: **सूअर पालन फार्म के लिए इकाई का आकार** — **पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम राशि** 50 शूकरी +5 सूअर — 15 लाख 100 शूकरी + 10 सूअर — 30 लाख केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 30 लाख रुपये तक 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। परिवहन और बीमा लागत, उपकरण / मशीनों के साथ पशुओं के आवास, प्रजनन लागत के लिए निधियां प्रदान की जायेगी। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान से ऋण या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से शेष राशि की व्यवस्था करनी होगी। जमीन की खरीद, किराए और जमीन की लीज लागत, कार्यशील पूंजी, निजी वाहन के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
3.	**सहायता का पैटर्न**	योजना के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ कुल परियोजना लागत की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार, परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित राशि के अनुसार 30 लाख रुपये तक 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को

		ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्थाओं का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत के अतिरिक्त परे परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में या आवेदन के साथ संलग्न होगा। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से से 25% व्यय करने पर प्रथम किस्त की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी निधियन के लिए पात्र उपकरणों की सांकेतिक सूची **अनुबंध- III** में है।
4.	**पात्र संस्थाएं**	एफपीओ/एसएचजी/एफसीओ/जेएलजी/धारा 8 की कंपनियां/ व्यक्ति
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, एमओएफएएचडी, भारत सरकार।
6.	**उपमिशन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की अनिवार्य आवश्यकताएं**	उद्यमी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करेंगे।
7.	**परियोजना संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी दो साल के लिए परियोजना की प्रगति संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगी।

V. भेड़ और बकरी नस्लों का आनुवांशिक सुधार

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप होंगे।

i. भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना
ii. राज्य सीमेन बैंक की स्थापना
iii. मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रचार
iv. विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात

i. भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना:

क्र.सं.	घटक का नाम	भेड़ और बकरी के लिए क्षेत्रीय सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेन बैंक की स्थापना
1.	**उद्देश्य**	i. चयनित प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की देशी डिस्क्रिप्ट नस्लों का आनुवंशिक सुधार ii. उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक रैम्स या बक के साथ संकर प्रजनन के माध्यम से नॉन-डिस्क्रिप्ट भेड़/बकरी नस्लों का आनुवंशिक उन्नयन। iii. कृत्रिम गर्भाधान और अन्य उन्नत समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा भेड़ और बकरी की नस्लों के बीच नकारात्मक चयन और इन ब्रीडिंग (Inbreeding) को कम करना।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	इस कार्यकलाप के अंतर्गत केन्द्र सरकार क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक स्थान पर बकरी के लिए हिमित सीमन उत्पादन प्रयोगशाला तथा भेड़ के लिए तरल स्सेमान उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी, ताकि उक्त क्षेत्र के समीपवर्ती राज्यों को उत्कृष्ट पशुओं का वीर्य उपलब्ध कराया जा सके। क्षेत्रीय सीमन स्टेशन की स्थापना उक्त क्षेत्र के राज्यों से प्राप्त अभिरुचि की अभिवयक्ति के आधार पर की जाएगी, जो वीर्य का उत्पादन कर सकेंगे तथा क्षेत्र के राज्यों को वीर्य की आपूर्ति कर सकेंगे। साथ ही, क्षेत्रीय सीमन स्टेशन बकरी के लिए हिमित सीमन के लिए क्षेत्रीय सीमन बैंक के रूप में भी काम करेगा। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने भेड़ और बकरी के सीमन प्रसंस्करण (MSP) के लिए न्यूनतम मानक तैयार किए हैं। सीमन प्रयोगशालाओं को परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय सीमन प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। MSP में संरचना, लोजीस्टिक, उपकरण आदि की आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रयोगशाला में उत्पादित सीमन को पड़ोसी राज्यों में वितरित किया जाएगा।

3.	**सहायता का पैटर्न**	सभी राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 होगा सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% होगा। सीमन प्रयोगशाला के निर्माण, प्रजनन करने वाले हिरन और मेढ़ों के रख-रखाव, स्थानीय रूप से उपलब्ध उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं की सोर्सिंग और सीमन के प्रसंस्करण हेतु क्षेत्रीय वीर्य स्टेशन की स्थापना के लिए पात्र संबंधित राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में एकमुश्त 400.00 लाख रुपये तक का अनुदान सीमित होगा। सीमन के पहली बार प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों, दवाओं, रसायनों आदि की खरीद के लिए एकमुश्त व्यय के रूप में 30 लाख रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। सीमन स्टेशन को चलाने के लिए क्षेत्रीय सीमन बैंक को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने होंगे। वीर्य स्टेशन के संचालन व्यय के लिए कोई आवर्ती व्यय प्रदान नहीं किया जाएगा।
4.	**पात्र संस्थाएं**	राज्य पशुधन एजेंसियां
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	पशुपालन और डेयरी विभाग, एमओएफएएचडी, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी।

ii. राज्य सीमेन बैंक की स्थापना:

क्र. सं.	उप-घटक का नाम	राज्य सीमेन बैंक की स्थापना
1.	**उद्देश्य**	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार और राज्य स्तर पर सीमन भंडारण सुविधा की स्थापना
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	हिमित सीमन के माध्यम से बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए, एआई केंद्रों को बकरी के हिमित सीमन की आपूर्ति के लिए राज्य स्तर पर भंडारण डिपो की आवश्यकता होगी। गोपशुओं और भैंसों के हिमित सीमन के भंडारण का काम करने वाला राज्य सीमन बैंक बकरियों के लिए भी सीमन बैंक का काम कर सकता है। अतबकरियों के हिमित सीम :न के भंडारण के लिए उपकरण एवं भंडारण कंटेनर उपलब्ध कराकर मौजूदा राज्य सीमन बैंक को सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
3.	**सहायता का पैटर्न**	राज्य स्तर पर बकरी के हिमित सीमन के भण्डारण एवं वितरण हेतु मौजूदा गोपशु एवं भैंस के सीमेन बैंक के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य को 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता की राशि प्रदान की जायेगी। क्रायो-कंटेनर और अन्य संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता के माध्यम से होगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	राज्य पशुधन एजेंसियां, पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	पशुपालन और डेयरी विभाग, एमओएफएएचडी, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

iii. मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार:

क्र. सं.	घटक का नाम	मौजूदा गोपशु और भैंस कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का प्रसार
1.	**उद्देश्य**	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन द्वारा भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	आवश्यक उपकरण (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, वैजिनल स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति और गोपशु एआई कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके बकरी और भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए गोपशु और भैंस एआई केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।
3.	**सहायता का पैटर्न**	प्रत्येक एआई केंद्र को बकरी एआई क्रेट, एआई गन, वैजिनल स्पेकुलम, हेड लाइट की खरीद के लिए लागत साझा कारण के आधार पर सभी राज्यों को 60:40 की दर से सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगी, 7000 रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	पशुपालन और डेयरी विभाग, एमओएफएएचडी, भारत सरकार और राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

iv. **विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात**

क्र. सं.	उप-घटक का नाम	विदेशी भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात
1.	**उद्देश्य**	कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रचार द्वारा चयनात्मक प्रजनन द्वारा भेड़/बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	केंद्र सरकार, नॉन-डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और ऊन, दूध तथा मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए, भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आवश्यकतानुसार आयात करने के लिए राज्यों की सहायता करेगी। सर्वश्रेष्ठ विदेशी नस्लों को राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखा जाएगा। जर्मप्लाज्म के आयात के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य को अपनी प्रजनन नीति को अधिसूचित करना होगा।
3.	**सहायता का पैटर्न**	जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म का आयात करने के लिए सभी राज्यों को लागत साझाकरण के आधार पर 60:40 की दर से एकमुश्त सहायता प्रदान की जायेगी सिवाय उत्तरपूर्व- और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% होगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां और राज्य पशुपालन विभाग।

कार्यकलाप VI: घोड़े, गधे, ऊँट का आनुवंशिक सुधार: इस कार्यकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे:

(i) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए क्षेत्रीय सीमन उत्पादन प्रयोगशाला और सीमन बैंक की स्थापना
(ii) न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना
(iii) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए प्रजनक समितियों की स्थापना।

(i) **घोड़े, गधे और ऊँट के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना**

क्र. सं.	**उप-घटक का नाम**	**क्षेत्रीय सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना**
1.	**उद्देश्य**	i. चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से घोड़े, गधे और ऊँट की देशी नस्लों का आनुवंशिक सुधार ii. उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक नर के साथ क्रॉस प्रजनन के माध्यम से घोड़े, गधे और ऊँट की नस्लों का आनुवंशिक उन्नयन iii. कृत्रिम गर्भाधान और अन्य विकसित सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से श्रेष्ठ नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा नस्लों के बीच नकारात्मक चयन और अंतःप्रजनन (Inbreeding) को कम करना।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	इस कार्यकलाप के तहत केंद्र सरकार रणनीतिक स्थानों में क्षेत्रीय स्तर पर घोड़े, गधे और ऊंट के लिए सीमन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और आईसीएआर संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी, ताकि उक्त क्षेत्र के आस-पास के राज्यों को उत्कृष्ट पशुओं के सीमन की आपूर्ति की जा सके। यह क्षेत्रीय सीमन स्टेशन वहां स्थापित किया जाएगा, जहां आनुवंशिक पूल की संख्या उपलब्ध है। सीमन प्रयोगशालाओं को परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय घोड़े के सीमन प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इस प्रयोगशाला में उत्पादित सीमन को पड़ोसी राज्यों में वितरित किया जाएगा।
3.	**सहायता का पैटर्न**	सभी राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 की दर से होगा सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों लिए 100% होगा। अधिकतम 10 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आईसीएआर संस्थान को सीमा के अधीन 100% निधियन उपलब्ध कराया जाएगा।
4.	**पात्र संस्थाएं**	राज्य पशुपालन विभाग, आईसीएआर संस्थान
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार

(ii) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना

क्र. सं.	उप-घटक का नाम	न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना
1.	**उद्देश्य**	सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से घोड़, गधे और ऊँट की नस्लों का आनुवंशिक सुधार
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	घोड़े, गधे और ऊँट की लुप्तप्राय देशी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, केंद्र सरकार आवश्यक अवसंरचना तैयार करने के लिए न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ तक की सहायता प्रदान करेगी। न्यूक्लियस प्रजनन फार्म में, लुप्तप्राय प्रजातियों के सर्वश्रेष्ठ नर और मादा पशुओं को चयन प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाएगा। फार्म उद्यमियों और क्षेत्रीय सीमन प्रयोगशालाओं को आगे के प्रजनन और सीमन उत्पादन के लिए प्रजनन पशुओं की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। तकनीकी दिशा-निर्देशों के माध्यम से फार्म का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार देशी घोड़ों/गधे और ऊँटों के इन-सीटू (प्रजनन क्षेत्र में) और एक्स-सीटू (प्रजनन क्षेत्र से बाहर) संरक्षण के लिए राज्य सरकार को अनुदान प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पंजीकृत होने के लिए प्रस्तावित नई नस्लों का पहले राज्य विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन और फिर उन्हें नस्ल के रूप में अंतिम रूप से पंजीकृत करने से पहले ICAR-NBAGR के स्तर पर अध्ययन किया जाए।
3.	**सहायता का पैटर्न**	राज्य को 10.00 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय सहायता के माध्यम से होगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार

(iii) घोड़े, गधे और ऊँट के लिए नस्ल पंजीकरण समिति की स्थापना।

क्र. सं.	उप-घटक का नाम	नस्ल पंजीकरण समिति की स्थापना।
1.	**उद्देश्य**	घोड़े, ऊँट और गधे का आनुवंशिक सुधार और नस्लों का संरक्षण।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	वर्तमान में, घोड़े, गधे और ऊँट की नस्ल और बहुमूल्य जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के लिए देश में कोई स्वीकृत नस्ल पंजीकरण सोसायटी नहीं है। अंधाधुंध प्रजनन ने कई ऐसी नस्लों को नष्ट कर दिया है जो भारतीय पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसलिए, केंद्र सरकार की देखरेख में घोड़े, खच्चर और गधे की प्रत्येक नस्ल के लिए नस्ल पंजीकरण सोसायटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 100% सहायता प्रदान की जाएगी। सोसायटी देशी घोड़े, गधे, खच्चर और ऊँट की नस्लों को पंजीकृत करेगी और देशी नस्लों के पंजीकरण से संबंधित रिकॉर्ड, ट्रेसेबिलिटी और अन्य संबंधित कार्यों का रखरखाव करेगी। आईसीएआर-एनआरसी इक्काइन (ICAR-NRC EQUINE), आईसीएआर-एनआरसी कैमल (ICAR-NRC CAMEL) इस काम के लिए तकनीकी भागीदार होंगे। वे इन पशुओं की नस्लों के पंजीकरण के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार करेंगे। डीएएचडी घोड़े, ऊंट और गधे के लिए स्टड (Stud) फार्म के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी विकसित करेगा।
3.	**सहायता का पैटर्न**	पंजीकृत पशुओं की संख्या के आधार पर सोसायटी को एकमुश्त 100% सहायता 1.00 करोड़ (एक करोड़) तक प्रदान की जाएगी, जो अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन होगी। सोसायटी, राज्य में सोसायटी के पंजीकरण की लागत, पंजीकरण की लागत, डीएनए परीक्षण, पशु चिकित्सक सहित कर्मचारियों के वेतन और पंजीकरण नेटवर्क बनाने के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने के लिए प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने के लिए भी पात्र होगी।
4.	**पात्र संस्थाएं**	पशुपालन और डेयरी विभाग
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	पशुपालन और डेयरी विभाग

क्रियाकलाप VII: सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

इस कार्यकलाप के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों को लागू किया जाएगा:

i. सूअर सीमन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

ii. विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म का आयात

i. सूअर सीमन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना

क्र.सं.	**उप घटक का नाम**	**सुअर के सीमन संग्रहण एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना**
1.	**उद्देश्य**	i. कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के माध्यम से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले नर जर्मप्लाज्म (सूअर सीमेन) के प्रसार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि ii. इनब्रीडिंग कम करना। iii. यौन संचारित रोगों के प्रवेश को कम करना।
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	जुगाली करने वाले बड़े गोशुओं के विपरीत, हिमित सीमन प्रौद्योगिक सूअर के लिए सफल नहीं है। इसलिए सूअर में कृत्रिम गर्भाधान ज्यादातर सूअर के तरल सीमन के साथ किया जाता है, जिसकी सफलता दर 60% होती है, जब वीर्य को वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से संसाधित किया जाता है। वर्तमान में, तरल सीमन के जीवन को लम्बा करने के लिए प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में सूअरों को कवर करते हुए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सूअर के सीमन के प्रसार के लिए, बड़ी संख्या में खुराके तैयार करने के लिए सीमन को संसाधित करने की आवश्यकता होती है। ये खुराके लंबी अवधि तक सक्रिय रहती हैं। अतः सरकारी सूअर फार्म में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सूअर के उच्च गुणवत्ता वाले तरल सीमन का उत्पादन करने के लिए सीमन प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
3.	**सहायता का पैटर्न**	सभी राज्यों के लिए निधियन पैटर्न 60:40 की दर से होगा सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगा।
4.	**पात्र संस्था**	राज्य पशुधन एजेंसियां पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार

(ii) सुअर जर्मप्लाज्म का आयात

क्र. सं.	घटक का नाम	विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म का आयात
1.	**उद्देश्य**	प्रति पशु उच्च उत्पादकता वाले संकर नस्ल पशुओं के उत्पादन के लिए देशी सूअरों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए मौजूदा देशी जीनपूल में बेहतर नर जर्मप्लाज्म को शामिल करना
2.	**प्रमुख विशेषताएं**	केंद्र सरकार नॉन- डिस्क्रिप्ट पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और प्रति पशु मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन करने के लिए सूअर जर्मप्लाज्म के आवश्यकता आधारित आयात के लिए राज्यों की सहायता करेगी। बेहतर विदेशी नस्लों का राज्य सरकार के न्यूक्लियस फार्मों में शुद्ध नस्लों के रूप में रखरखाव किया जाएगा। हालांकि, राज्य को जर्मप्लाज्म के आयात का प्रस्ताव भेजने से पहले सूअरों के लिए प्रजनन नीति तैयार करने और अधिसूचित करने की आवश्यकता है।
3.	**सहायता का पैटर्न**	जीवित पशुओं के रूप में विदेशी सूअर जर्मप्लाज्म के आयात के लिए सभी राज्यों को 60:40 की लागत साझाकरण के आधार पर एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी सिवाय उत्तर-पूर्व और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, जहां यह 90:10 होगी।
4.	**लाभार्थी**	राज्य पशुधन एजेंसियां राज्य पशुधन बोर्ड पशुपालन विभाग, राज्य सरकार
5.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां।

आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन

आहार एवं चारा संबंधी उप-मिशन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे:

कार्यकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
कार्यकलाप (ii): आहार एवं चारे में उद्यमिता क्रियाकलाप
कार्यकलाप (iii): बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना में उद्यमिता कार्यकलाप
कार्यकलाप (iv): गैर-वनीय बंजरभूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन
कार्यकलाप (v): वन भूमि से चारा उत्पादन

कार्यकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
1.	**उद्देश्य**	i. प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला की स्थापना। ii. चारा उत्पादन, संरक्षण और उपयोग में राज्य के पदाधिकारियों और पशुधन मालिकों की क्षमता निर्माण। iii. चारा संसाधन विकास के लिए चल रहे योजना कार्यक्रमों और हितधारकों के बीच अभिसरण (Convergence) और तालमेल स्थापित करना।
2.	**मुख्य विशेषताएं**	• इस क्रियाकलाप के तहत चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। • यह घटक उच्च उपज देने वाले चारे की किस्मों के बीजों के गुणन की ओर लक्षित है, जिसे अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से विकसित किया गया है, जो उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
3.	**सहायता का पैटर्न**	• आईसीएआर, राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (IFFCO), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और केंद्रीय एजेंसियों साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAU), हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (HIL), राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन, डेयरी सहकारी समितियां और दूध संघ और अच्छी विश्वसनीयता के साथ अन्य संगठन द्वारा चारा बीज उत्पादन की सभी श्रेणियों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन। • राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), आईसीएआर, आईएफएफसी, कृभको, नेफेड, एचआईएल, एनडीडीबी आदि जैसी केंद्रीय बीज एजेंसियों को सीधे और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य बीज उत्पादक एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों के लिए बीज उत्पादन प्रोत्साहन दिया

		जाएगा। तथापि, डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध परिसंघों के लिए सहायता एनडीडीबी के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि, मौजूदा पात्र संस्थाओं के अलावा, विभाग द्वारा समय-समय पर जांची और अनुमोदित किसी भी अन्य एजेंसियों को भी चारा बीज उत्पादन श्रेणी के लिए पात्र एजेंसी के रूप में शामिल किया जा सकता है। ऐसी एजेंसियां गुणवत्ता वाले चारा बीज के उत्पादन के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगी। एनएलएम के तहत केंद्रीय बीज उत्पादन एजेंसी को सचिव (एएचडी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती होंगी:
		• कार्यान्वयन एजेंसी के पास बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।
		• कार्यान्वयन एजेंसी को पशुपालन विभाग/कृषि विभाग, राज्य सरकार/केंद्र सरकार या आईसीएआर संस्थान द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए।
		• एजेंसी का टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ प्रति वर्ष होना चाहिए।
		• चारा बीज उत्पादन में, जैविक इनपुट को प्राथमिकता दी जा सकती है।
		• एजेंसी परिशिष्ट II के अनुसार जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन करेगी।
		• एजेंसी परिशिष्ट II के अनुसार जानकारी भी प्रदान करेगी।
		
		• प्रति किलो बीज की लागत के आधार पर दो किस्तों में सहायता प्रदान की जाएगी। व्यवहार्य प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पहली किस्त प्रदान की जाएगी। दूसरी किस्त बीज के उत्पादन एवं संबंधित लाभार्थी एजेंसी द्वारा स्व-प्रमाणन के बाद प्रदान की जाएगी।
		
		• विभिन्न श्रेणी के बीजों के उत्पादन के लिए सहायता की जाने वाली लागत निम्नानुसार है:
		  • ब्रीडर सीड 250 रु./किग्रा तक
		  • फाउंडेशन बीज 150 रुपये/किग्रा तक
		  • प्रमाणित बीज 100 रु./ कि. ग्रा. तक
		
		• जब किसानों को बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा चारा बीज उत्पादन क्रियाकलाप में लगाया जाता है, तो सब्सिडी का 75% किसानों को दिया जाना चाहिए और 25% को बीज उत्पादक एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण लागत सहित व्यय को पूरा करने के लिए रखा जाना चाहिए।

4.		• केन्द्रीय स्तर पर इन एजेंसियों के लिए अनुमोदित योजना के आधार पर आईसीएआर संस्थान/एनएससी/नेफेड/कृभको/ इफको/केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समितियां जैसे एनसीसीएफ/ हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल), एनडीडीबी, डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध

	पात्र संस्थाएं	परिसंघ या राष्ट्रीय पशुधन मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अनुमोदित अन्य एजेंसी • राज्य सरकार के बीज उत्पादन निगम, सार्वजनिक और निजी संगठन और अच्छी विश्वसनीयता वाले अन्य संगठन
5.	**आवेदन फॉर्म**	• एजेंसी सहायता प्राप्त करने के लिए **परिशिष्ट II** में दिए गए आवेदन में विवरण भर कर आवेदन करेगी। दूसरी सहायता मांगने पर पात्र संस्था बीज के अंतिम उत्पादन को भी प्रस्तुत करेगी
6.	**कार्यकलाप की अनुवर्ती कार्रवाई**	• एजेंसी **परिशिष्ट-III** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट भेजेगी।

कार्यकलाप II: आहार एवं चारे में उद्यमिता कार्यकलाप
मिशन का उद्देश्य:

i. आहार और चारा के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास।
ii. फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के माध्यम से चारा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना।
iii. स्थानीय स्तर पर सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना।
iv. इन उद्यमियों को आपूर्ति करने के लिए स्थानीय किसानों द्वारा चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार चारे का उपयोग नकदी फसल के रूप में करना।

कार्यकलाप का विवरण इस प्रकार है:

आहार एवं चारे में उद्यमिता कार्यकलाप

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	आहार एवं चारे मे उद्यमिता कार्यकलाप
1.	मुख्य विशेषताएँ	निजी उद्यमियों, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों, धारा 8 कंपनियों को मूल्यवर्धन जैसे कि भूसा/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण के लिए 50% प्रतिशत पूंजी प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम स्तर पर भूसा/ साइलेज से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए परियोजना लागत के लिए सब्सिडी/ बेलर, ब्लॉक बनाने की मशीन, टीएमआर मशीन / उपकरण, चारा हार्वेस्टर/ रीपर, हैवी ड्यूटी पावर ऑपरेटेड चैफ कटर जैसी मशीनरी खरीदने के लिए चारा ब्लॉक बनाने वाली इकाइयां और आवश्यकता/जरूरत के अनुसार कोई अन्य पीएचटी उपकरण। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक ऋण के माध्यम से या एनसीडीसी या स्व-वित्त जैसे वित्तीय संस्थान से शेष राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की शेष राशि के वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत लाभ उठा सकती हैं। सब्सिडी के लिए पात्र उपकरणों की सूची अनुबंध VII में दी गई है
2.	सहायता का पैटर्न	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ कुल परियोजना लागत का 50%, दो समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। यह सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी

		किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्थाओं का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत के अतिरिक्त परे परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में या आवेदन के साथ संलग्न होगा। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, निजी कार, भूमि की खरीद, भूमि की लीज और किराए तथा कार्यालय आवास के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी
3.	**पात्र संस्थाएं**	निजी उद्यमी, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियां, धारा 8 कंपनियां
4.	**कार्यान्वयन एजेंसी**	i. डीएएचडी, भारत सरकार ii. राज्य पशुपालन विभाग iii. राज्य पशुधन एजेंसी/ राज्य पशुधन बोर्ड
5.	**पात्रता के मानदंड**	उद्यमियों को भी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
6.	**परियोजना का अनुवर्तन**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में इसके कार्यान्वयन के 2 साल बाद तक परियोजना का अनुवर्तन करेगी।

कार्यकलाप III: बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग उद्यमिता की स्थापना

क्र.सं.	कार्यकलाप का नाम	आहार एवं चारे मे उद्यमिता कार्यकलाप
1.	**प्रमुख विशेषताएं**	निजी कंपनियों, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियों, धारा 8 कंपनियों को बीज प्रसंकरण संयंत्रों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीज भंडारण संयंत्रों से संबंधित अवसंरचना के विकास, आवश्यकता/जरूरत के अनुसार संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिए लाभार्थी को परियोजना लागत की 50% प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वित्तपोषण के लिए घटकों की सांकेतिक सूची अनुबंध। में संलग्न है। उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को बैंक ऋण के माध्यम से या एनसीडीसी या स्व-वित्त जैसे वित्तीय संस्थान से शेष राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की शेष राशि के वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत लाभ उठा सकती हैं। सब्सिडी के लिए पात्र उपकरणों की सूची अनुबंध VIII में दी गई है
2.	**सहायता का पैटर्न**	योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी के साथ कुल परियोजना लागत का 50%, दो समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। यह सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी होगी और दो समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इसकी पुष्टि के बाद सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थानों जैसे एनसीडीसी आदि को पहली किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहां उद्यमियों/पात्र संस्थाओं का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किस्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाएगी जब लाभार्थी ने परियोजना की अवसरंचना के लिए लागत का 25% खर्च किया हो और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सत्यापित होने के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व-वित्तपोषित मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों / पात्र संस्थाओं को सहायता के लिए मांगी गई सब्सिडी की लागत

		के अतिरिक्त परे परियोजना की शेष लागत हेतु अनुसूचित बैंक से तीन साल के लिए वैध बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नाम से प्रदान की जाएगी। मूल बैंक गारंटी को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल में या आवेदन के साथ संलग्न होगा। दिशानिर्देशों के साथ बैंक गारंटी और घोषणा का प्रारूप संलग्न है। कार्यशील पूंजी, निजी कार, भूमि की खरीद, भूमि की लीज और किराए तथा कार्यालय आवास के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	**पात्र संस्थाएं**	निजी उद्यमी, एसएचजी, एफसीओ, जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियां, धारा 8 कंपनियां
4.	**कार्यान्वयन एजेंसी**	i. डीएएचडी, भारत सरकार ii. राज्य कार्यान्वयन एजेंसिया
5.	**पात्रता के मानदंड**	उद्यमियों को भी ऊपर पैरा 5.3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा।
6.	**परियोजना का अनुवर्तन**	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी इसके संचालन के संबंध में इसके कार्यान्वयन के 2 साल बाद तक परियोजना का अनुवर्तन करेगी।

कार्यकलाप (iv): गैर-वनीय बंजरभूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन

क्र.सं.	घटक का नाम	गैर-वनीय बंजरभूमि/रेंजभूमि/चरागाह/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन
1.	उद्देश्य	i. उपयुक्त घास, फलियों (Legumes) और चारे के वृक्ष लगाकर अवक्रमित गैर-वनीय बंजर भूमि / रेंजभूमि / चरागाह / गैर-कृषि योग्य भूमि का पुनर्वास ii. स्वादिष्ट घास / फलियों / पेड़ के पत्तों का उत्पादन बढ़ाना iii. चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करने के लिए बायोमास का उत्पादन iv. कमी की अवधि / संकट की स्थितियों के दौरान उपयोग के लिए चारे का अधिशेष भंडार बनाना
2.	प्रमुख विशेषताएं	इस घटक से अवक्रमित गैर-वनीय बंजर भूमि/रेंज भूमि/चरागाह/गैर-कृषि योग्य भूमि में सुधार होगा तथा लवणीय, अम्लीय और भारी मृदा जैसी समस्याग्रस्त मृदा के वनस्पति आवरण में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए विशिष्ट चारा वृक्षों, बारहमासी घासों और फलियों की पहचान की जाएगी, ताकि वनस्पति आवरण बढ़ सके, इससे न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा प्राप्त होगा, बल्कि उपयुक्त फलियों को शामिल करने से भूमि की उर्वरता स्थिति में भी सुधार होगा। विभिन्न प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किया गया है तथा सांकेतिक लागत मानदंड अनुबंध XIX में दिए गए हैं। व्यक्तिगत किसानों के मामले में, न्यूनतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए तथा सरकारी भूमि/सामुदायिक भूमि/गौशालाओं के मामले में, न्यूनतम 2.50 हेक्टेयर और 2.50 हेक्टेयर के गुणकों में उसी स्थान पर कम से कम 3 वर्षों के लिए बारहमासी चारा फसलों के लिए प्रस्ताव लिए जा सकते हैं। हालांकि, एक स्थान पर अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए, अनुमानों को तदनुसार तैयार किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसियां, यदि आवश्यक हो, तो किसी विशेष प्रकार की भूमि के लिए कुल अधिकतम सीमा के अधीन, विभिन्न मदों की लागत में भिन्नता प्रदान कर सकती हैं। चारागाह विकास के लिए बड़े क्षेत्र को शामिल करने के लिए, राज्य सरकार विस्तृत योजनाओं में घास और फलीदार बीजों के आयात सहित अतिरिक्त उपाय कर सकती है। व्यक्तिगत किसान भी अपने खेतों में बारहमासी चारा फसलों की खेती कर सकते हैं। ऐसे किसानों को संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यान्वयन राज्य विभाग के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता या समझौता ज्ञापन करना होगा, जिसमें यह वचनबद्धता होगी कि भूमि को कम से कम 3 वर्षों तक चारागाह के रूप में बनाए रखा जाएगा; अन्यथा, किसानों को सरकारी सहायता की पूरी

		राशि वापस करनी होगी। चारागाह के रूप में विकसित किया जाने वाला क्षेत्र नगर पालिका / नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए, और यदि जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तो यह विकास क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। यदि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सीपीआर / गोचर भूमि / सामुदायिक भूमि / बंजर भूमि / अवक्रमित वन भूमि के प्रबंधन को आउटसोर्स करना उचित समझता है, तो उसे आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन करना होगा। राज्य का हिस्सा दोनों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर साझा किया जाएगा, हालांकि, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय / वास्तविक प्रगति / निगरानी आदि के लिए जवाबदेह होंगे। एक मॉडल समझौता ज्ञापन अनुबंध XV और XVI में है। यदि कार्यक्रम गौशाला के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, तो गौशाला को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए या भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसके पास चारा खेती के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
3.	**वित्तीय सहायता का पैटर्न**	अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के हिस्से का पूरा हिस्सा या तो राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है या राज्य लाभार्थी से पूरा हिस्सा मांग सकता है या राज्य लाभार्थियों के साथ इसे साझा कर सकता है। राज्य सरकार अनुबंध XVI में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन करेगी।
4.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य पशुपालन/कृषि/वन विभाग, दुग्ध सहकारी समितियां/परिसंघ, गौशालाएं, हालांकि, धनराशि राज्य सरकारों के माध्यम से जारी की जाएगी।

कार्यकलाप (v): वन भूमि से चारा उत्पादन

क्र. सं.	घटक का नाम	वन भूमि से चारा उत्पादन
1.	**उद्देश्य**	(i) उपयुक्त घास, फलियों (Legumes) और चारे के वृक्ष लगाकर अवक्रमित गैर-वनीय बंजर भूमि / रेंजभूमि / चरागाह / गैर-कृषि योग्य भूमि का पुनर्वास (ii) स्वादिष्ट घास / फलियों / पेड़ के पत्तों का उत्पादन बढ़ाना (iii) चारे की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करने के लिए बायोमास का उत्पादन (iv) कमी की अवधि / संकट की स्थितियों के दौरान उपयोग के लिए चारे का अधिशेष भंडार बनाना
2.	**प्रमुख विशेषताएँ**	इस घटक से अवक्रमित वन भूमि का पुनर्वास और सुधार संभव होगा तथा अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अवक्रमित वन क्षेत्र को प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त चारा वृक्ष, बारहमासी घास और फलियां लगाकर प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता की जाएगी, ताकि वनस्पति आवरण घनत्व में सुधार हो सके, जिससे न केवल अतिरिक्त मात्रा में चारा मिलेगा, बल्कि वन का समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इस घटक को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग द्वारा, अधिमानतः संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। लागत मानदंड वन विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों की अनुसूची के अनुसार होंगे, जो अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर के अधीन होंगे। सांकेतिक लागत मानदंडों के साथ विभिन्न प्रकार की भूमि का वर्गीकरण (अनुबंध-XIX) किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियां, यदि आवश्यक हो, तो किसी विशेष प्रकार की भूमि के लिए कुल अधिकतम सीमा के अधीन, विभिन्न मदों की लागत में भिन्नता प्रदान कर सकती हैं। चारागाह विकास के लिए बड़े क्षेत्र को शामिल करने के लिए, राज्य सरकार विस्तृत योजनाओं में घास और फलीदार बीजों के आयात सहित अतिरिक्त उपाय कर सकती है। चारागाह के रूप में विकसित किया जाने वाला क्षेत्र नगर पालिका / नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए, और यदि जिले में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तो यह विकास क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। यदि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सीपीआर / गोचर भूमि / सामुदायिक भूमि / बंजर भूमि / अवक्रमित वन भूमि के प्रबंधन को आउटसोर्स करना

		उचित समझता है, तो उसे आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन करना होगा। राज्य का हिस्सा दोनों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर साझा किया जाएगा, हालांकि, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय / वास्तविक प्रगति / निगरानी आदि के लिए जवाबदेह होंगे। एक मॉडल समझौता ज्ञापन अनुबंध XV में दिया गया है।
3.	**वित्तीय सहायता का पैटर्न**	अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के हिस्से का पूरा हिस्सा या तो राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है या राज्य लाभार्थी से पूरा हिस्सा मांग सकता है या राज्य लाभार्थियों के साथ इसे साझा कर सकता है।
4.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग। हालांकि, निधि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।